

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**

क्रमांक प.10(15)नविवि/3/2013

जयपुर, दिनांक **21 JAN 2015**

सचिव,  
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
नगर निगम,  
समस्त।

सचिव,  
नगर विकास न्यास,  
समस्त।

**विषय :- मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 में संशोधन बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 09.12.2014 के द्वारा मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 को लागू करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् "मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014" में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

1. बिन्दु संख्या-3 के अन्त में निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है:-

"किसी भू-स्वामी द्वारा इन उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के तहत अनियमित निर्माण के नियमन के लिए सम्बन्धित नगरीय निकाय में लिखित में आवेदन करना होगा।"

2. बिन्दु संख्या -4 के अन्त में तालिका -(क) से पूर्व निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है:-

"भवनों के अनियमित निर्माण को नियमित किये जाने के लिए नगरीय निकाय बाध्य नहीं होगा। यदि सम्बन्धित निकाय भवन निर्माण में विनियमों का उल्लंघन कर किसी अनाधिकृत निर्माण के बारे में यह निर्णय करें कि इस क्षेत्र के स्वरूप या भवन की उपयोगिता को नहीं बिगाड़ता है या जनहित में ऐसा किया जाना उचित है तो ऐसे अनाधिकृत निर्माण को इन उप विधियों के प्रावधानों के अनुरूप नियमबद्ध किया जा सकेगा।"

3. (तालिका-क) में से बिन्दु संख्या-7 का विलोपित किया जाता है।
4. (तालिका-क) के नीचे अंकित नोट में (xv) के पश्चात् निम्न प्रावधान जोड़े जाते हैं:-

“(xvi) उक्त विधियां ऐसे अनाधिकृत निर्माणों के नियामितकरण हेतु लागू होंगी, जिनका निर्माण इन उपविधियों के लागू होने से पूर्व किया जा चुका है।”

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त, राजस्थान, आवासन मण्डल, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय